

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2138
01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन

2138. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और समाधान हेतु लंबित मामलों की संख्या कितनी है;
- (ख) समय पर पेंशन के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए विगत दो वर्षों के दौरान स्पर्श पोर्टल में किए गए तकनीकी/प्रशासनिक सुधारों का व्यौरा क्या है; और
- (ग) पूर्व सैनिकों को, विशेषकर तमिलनाडु के ग्रामीण जिलों जैसे इरोड, तिरुप्पुर और नमक्कल में, कितनी बकाया पेंशन राशि देय है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) स्कीम के तहत सशस्त्र बलों के कार्मिकों की पेंशन में दिनांक 01.07.2014 से प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधन किया गया है। तदनुसार, ओआरओपी के तहत द्वितीय और तृतीय संशोधन क्रमशः दिनांक 01.07.2019 और 01.07.2024 को किया गया है। रक्षा बल कार्मिक के सभी पात्र लाभार्थियों को ओआरओपी-I और ओआरओपी-II के तहत बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। ओआरओपी-III के तहत, 25.20 लाख पात्र पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन और तत्संबंधी बकाया का भुगतान किया गया है।

(ख): विगत दो वर्षों के दौरान, स्पर्श पोर्टल में किए गए तकनीकी और प्रशासनिक संबंधी सुधारों का व्यौरा निम्नानुसार है :

(i) अक्तूबर 2020 में शुरू किया गया स्पर्श (पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली-रक्षा), भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कुशल समाधान उपलब्ध कराना है, जिसमें समस्त भारत में सशस्त्र बल कर्मियों और रक्षा सिविलियन कर्मियों की पेंशन की संस्वीकृति एवं संवितरण भी शामिल है।

(ii) वर्तमान में 31 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगी (सेना और रक्षा सिविलियन पेंशनभोगियों सहित) स्पर्श पोर्टल पर ऑनबोर्ड (पंजीकृत) किए जा चुके हैं और उनकी पेंशन, स्पर्श के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में क्रेडिट की जाती है।

(iii) विगत दो वर्षों के दौरान स्पर्श के अंतर्गत विकसित किए गए मॉड्यूल इस प्रकार हैं:-
(क) रिजर्विस्ट पेंशन (ख) निशक्तता पेंशन (ग) पीबीओआर के लिए प्रो-रेटा पेंशन (घ) एलटीए (आजीवन बकाया) (ड.) नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का अद्यतनीकरण (च) जीवन रक्षा पदक के लिए आयकर में बचत (छ) फार्म-16 जनरेट (तैयार) करने के लिए ट्रेसिस के साथ एकीकरण आदि।

(iv) स्पर्श में नेपाल के मूल निवासी (डोमिसाइल) गोरखा (एनडीजी) पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। अब एनडीजी पेंशनभोगी अपनी पेंशन नेपाल एसबीआई बैंक और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड से आहरित कर सकते हैं। एनडीजी/एनआरआई पेंशनभोगियों को स्पर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी भी बनाई गई है।

(v) स्पर्श पोर्टल में किए गए तकनीकी संबंधी सुधारों में बैंडविंग में सुधार कर इसे 256 एमबीपीएस किया जाना तथा स्टोरेज क्षमता को 600 जीबी से बढ़ाकर 200 टीबी किया जाना शामिल है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी सुधार किया गया है।

(ग): तमिलनाडु के ग्रामीण जिलों में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को देय बकाया पेंशन का विवरण नहीं रखा जाता है। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों, विशेषकर तमिलनाडु के ग्रामीण जिलों जैसे इरोड,

तिरुप्पुर एवं नमक्कल के भूतपूर्व सैनिकों, को भुगतान की गई बकाया पेंशन (ओआरओपी-II एवं ओआरओपी-III) का विवरण निम्नानुसार है:-

तमिलनाडु राज्य के जिलों के संबंध में ओआरओपी-II से संबंधित डाटा				
नाम	पात्र पेंशनभोगियों की कुल संख्या	लाभान्वित पेंशनभोगियों की कुल संख्या	गैर-लाभान्वित पेंशनभोगियों की कुल संख्या	भुगतान किए गए बकाया की राशि (रु. में)
इरोड	821	728	93	70856122
तिरुप्पुर	5	2	3	89742
नमक्कल	757	647	110	59166060

तमिलनाडु राज्य के जिलों के संबंध में ओआरओपी-III से संबंधित डाटा				
नाम	पात्र पेंशनभोगियों की कुल संख्या	लाभान्वित पेंशनभोगियों की कुल संख्या	गैर-लाभान्वित पेंशनभोगियों की कुल संख्या	भुगतान किए गए बकाया की राशि (रु. में)
इरोड	1389	1128	261	7353054
तिरुप्पुर	18	15	3	106426
नमक्कल	1186	985	201	5115264
